**निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)**
**उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित**

प्रकरण संख्या :–02/2022
दायरा दिनांक :– 10.01.2022
निर्णय दिनांक :–12.03.2022

## उनवान

पूरणमल पुत्र गोविन्दलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बोरीना तह0 बारां

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री गोविन्द लाल जाति अहीर निवासी ग्राम बोरीना तह0 बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 48, 49 आर टी एक्ट**

निर्णय दिनांक :–12.03.2022

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र कुमार सुमन – वादी
2.श्री राजेन्द्र कुमार गोस्वामी – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 48, 49 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल बोरीना तहसील बारां जिला बारां में आराजी खाता संख्या 166 की खसरा नं0 110 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 12 रकबा 0.97 है0, खसरा नं0 135 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 303 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 492 रकबा 2.40 है0, खसरा नं0 77 रकबा 0.30 है0 कल किता 6 कुल रकबा 3.84 है0 बखाता रामस्वरूप पुत्र श्री गोविन्दलाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर साकिन देह राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार वाके माल बोरीना तहसील बारां जिला बारां में आराजी खाता संख्या 223 की खसरा नं0 111 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 198 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 299 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 305 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 383 रकबा 1.29 है0, खसरा नं0 483 रकबा 1.71 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.84 है0 बखाता पूरणमल पुत्र श्री गोविन्दलाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर साकिन देह राजस्व रिकॉर्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है।उपरोक्त वर्णित आराजियात पूर्व में षामलाती खाते में दर्ज थीं लेकिन वादी एवं प्रतिवादी कम 01 ने आपसी सहमति से दिनांक 13.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में आपसी सहमति से उक्त आराजियात का आपस में विभाजन कर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 में केम्प प्रभारी को दे दिया गया था। लेकिन राजस्व केम्प प्रभारी द्वारा सहवन से वादी के कब्जे काश्त की आराजी प्रतिवादी कम 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में एवं प्रतिवादी कम 01 के कब्जे काश्त की आराजी वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। राजस्व केम्प के दौरान वादी एवं प्रतिवादी कम 01 ने आपसी सहमति से विभाजन कर लिया था। लेकिन विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सही नही हो पाया, क्योंकि खाता संख्या 166 की कुल किता 6 कुल रकबा 3.84 है0 पर पूरणमल [illegible] गोविन्दलाल जाति अहीर का कब्जा है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजियात पर नाम रामस्वरूप पुत्र श्री गोविन्दलाल दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार वाके माल बोरीना की खाता संख्या 223 की कुल किता 6 कुल रकबा 3.84 है0 पर मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

**उपखण्ड अधिकारी**
**बारां**

**अध्यक्ष सदस्य**
**राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां**

Scanned with CamScanner

कब्जा रामस्वरूप पुत्र श्री गोविन्दलाल जाति अहीर का है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजियात पर पूरणमल पुत्र श्री गोविन्दलाल का नाम दर्ज हो रहा है। जिसे दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी एवं नालिशी है। उक्त त्रुटि को सही करने बाबत वादी ने प्रतिवादी कम 02 से निवेदन किया, तो प्रतिवादी कम 02 एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उक्त त्रुटि को सही करने से स्पष्ट मना कर दिया तब राजस्व केम्प बटावदा में भी वादी एवं प्रतिवादी कम 01 ने उक्त त्रुटि को दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन उसपर भी केम्प प्रभारी द्वारा कोई कार्यवाही नही की और कहा कि एस. डी.ओ. बारां में सक्षम वाद पेश कर उक्त त्रुटि को सही करवाये, इस हेतु उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार सर्वोच्च भू धारक होने से वाद में प्रतिवादी के रू० में तहसीलदार बारां को प्रतिवादी कम 02 बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 25.11.2021 को वादी द्वारा उक्त राजस्व त्रुटि को दुरस्त करने हेतु राजस्व केम्प बटावदा में निवेदन करने एवं राजस्व केम्प प्रभारी द्वारा वादी क निवेदन पर कोई ध्यान नही देकर उक्त त्रुटि को दुरस्त करने से स्पष्ट रू० से इंकार कर दिये जाने पर तहसील बारां क्षेत्र में उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश हुआ । वादी एवं प्रतिवादी की ओर से राजीनामा पेश हुआ वादी के अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता सं. 166, नकल नामा0 नं0 560 दिनांक 13.06.16 पेश किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में जैरकार है उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य लोक अदालत की भावना एवं आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है वाके माल बोरीना तहसील बारां की आराजी ख0नं0 110 रकबा 0.05 हैकटेयर, ख0नं0 12 रकबा 0.97 हैकटेयर, ख0नं0135 रकबा 0.08 हैक्टेयर, ख0नं0 303 रकबा 0.04 हैक्टेयर, ख0नं0 492 रकबा 2.40 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.30 है0 । कुल किता 6 रकबा 3.84 है0 व खाता रामस्वरूप पुत्र श्री गोविन्दलाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0देह राजस्व रिकार्ड में व हैसीयत खातेदार दर्ज है। के स्थान पर पूरणमल का नाम रजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तथा इसी प्रकार वाके माल बोरीना तह0 बारां में ख0नं0 111 रकबा 0.11 है0, ख0नं0198 रकबा 0.06 है0 , ख0नं0 299 रकबा 0.02 है0 , ख0नं0 305 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 383 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 483 रकबा 1.71 है0। कुल किता 6 रकबा 3.84 है0 बखाता पूरणमल पुत्र गोविन्दलाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0देह राजस्व रिकार्ड में व हैसियत खातेदार दर्ज है। के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र गोविन्दलाल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे । दोनों आराजीयत का रकबा समान है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री किये जाने में हम वादी एवं प्रतिवादी कम 1 को कोई आपत्ति नहीं है। मुताबिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत राजीनामा व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम बोरीना सम्वत 2070–73 खाता सं0 223 पूरणमल पुत्र गोविन्दलाल के खातेदारी के दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम बोरीना सम्वत 2070–73 खाता सं0 166 रामस्वरूप पुत्र गोविन्दलाल जाति अहीर के खातेदारी में दर्ज है। नकल नामा0संख्या 560 के अनुसार विवादित आराजी पूरणमल व रामस्वरूप के खातेदारी में थी जो राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वारा केस में सहमति से बंटवारा करवाया गया परन्तु वादी, प्रतिवादी की भूमि पर तथा प्रतिवादी, वादी की भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण भूमि का हस्तान्तरण चाहते है। वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत ...
... प्राधिकरण बारां ...

सदस्य

Scanned with CamScanner

## :: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बोरीना तहसील बारां की आराजी ख0नं0 110 रकबा 0.05 हैकटेयर, ख0नं0 12 रकबा 0.97 हैकटेयर, ख0नं0 135 रकबा 0.08 हैक्टेयर, ख0नं0 303 रकबा 0.04 हैक्टेयर, ख0नं0 492 रकबा 2.40 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.30 है0 । कुल किता 6 रकबा 3.84 है0 पर रामस्वरूप के स्थान पर पूरणमल के एवं ख0नं0 111 रकबा 0.11 है0 , ख0नं0 198 रकबा 0.06 (0.60) है0 , ख0नं0 299 रकबा 0.02 है0 , ख0नं0 305 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 383 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 483 रकबा 1.71 है0 कुल किता 6 रकबा 3.84 है0 भूमि पूरणमल के स्थान पर रामस्वरूप के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां आदेशित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

अध्यक्ष सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत ... विधिक
सेवा प्राधिकरण बारां राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

## डिक्री

| वाद संख्या 2/2022 | धारा अन्तर्गत **88,89,90,92 आर टी एक्ट,** | निर्णय दिनांक :— 12.03.2022 |
|---|---|---|
| समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां** | | |
| उपस्थिति :अभिभाषक वादी:— श्री राजेन्द्र कुमार सुमन | अभिभाषक प्रतिवादी:— | |

**वाद शीर्षक**

उनवान

पूरणमल पुत्र गोविन्दलाल जाति अहीर निवासी ग्राम बोरीना तह0 बारां

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री गोविन्द लाल जाति अहीर निवासी ग्राम बोरीना तह0 बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बोरीना तहसील बारां की आराजी ख0नं0 110 रकबा 0.05 हैकटेयर, ख0नं0 12 रकबा 0.97 हैकटेयर, ख0नं0 135 रकबा 0.08 हैक्टेयर, ख0नं0 303 रकबा 0.04 हैक्टेयर, ख0नं0 492 रकबा 2.40 है0, ख0नं0 77 रकबा 0.30 है0 । कुल किता 6 रकबा 3.84 है0 पर रामस्वरूप के स्थान पर पूरणमल के एवं ख0नं0 111 रकबा 0.11 है0 , ख0नं0 198 रकबा 0.60 06 है0 , ख0नं0 299 रकबा 0.02 है0 , ख0नं0 305 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 383 रकबा 1.29 है0, ख0नं0 483 रकबा 1.71 है0 कुल किता 6 रकबा 3.84 है0 भूमि पूरणमल के स्थान पर रामस्वरूप के खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .................................... रू0 का व्ययानुतोष ...................... द्वारा ............ को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 12.03.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला—बारां

| क्र.सं. | व्यय मद | व्ययानुतोष वादी | प्रतिवादी |
|---|---|---|---|
| 1. | वाद पत्र/लिखित कथन | | |
| 2. | अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय) | | |
| 3. | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय) | | |
| 4. | प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय) | | |
| 5. | पारिश्रमिक अभिभाषक | | |
| 6. | व्यय साक्षी | | |
| 7. | फीस कमिश्नर | | |
| 8. | अन्य/क्षतिपूर्ति | | |
| 9. | ब्याज ( :) | | |
| 10. | योग | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner